

मुकदमा नंबर	किरम मुकदमा	दर्ज दिनांक
05/22	एफएसएस एक्ट, 2008	25/08/2022

1. पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु०पि० एवं स्वा० अधि० रावाई माधोपुर ।
-आवेदक

बनाम

1. मनोज कुमार सिंघल पुत्र श्री गोपालराम गैसरा मनोज हलवाई प्रा०बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी निवासी
नहर रोड हनुमान कॉलोनी गंगापुर सिटी।
-अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2008 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक:- 18.12.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रावाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2008 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 01.02.2022 को दोपहर 02:30 पीएम पर मैसर्स मनोज हलवाई प्रा०बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी पर पहुंचा। आवेदक ने मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे, तो उसने अपना नाम मनोज कुमार सिंघल पुत्र श्री गोपाल राम मैसर्स मनोज हलवाई प्रा० बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी होना बताया। आवेदक द्वारा नमूना सं० एच- 2204 खाद्य वस्तु पनीर 20 किलों परात में बिक्री हेतु रखा हुआ था को देखने पर गिलावटी प्रतीत होने पर उक्त पनीर का नमूना वास्ते जांच देने हेतु विक्रेता से कहां और फार्म 5 ए मौके पर भरकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने विक्रेता की उक्त 20 किलोग्राम पनीर में से 1 किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मनोज कुमार सिंघल पुत्र गोपालराम को रु० 250 (दो सौ पचास रुपये) नागद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये 1 किलो पनीर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20-20 बूँदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाइट बंद किये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रावाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच-2204 दर्ज किया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। एक नमूना भाग मय फार्म सं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं 2 प्रति फार्म नं० 6 की अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को श्री मौ०असलम वार्ड बॉय के द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं० 6 की प्रति के डी०ओ० (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) रावाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी०ओ० एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रावाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/22/462 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/607/ एक्ट/2022/646 दिनांक 02.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर अवमानक पाया गया।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/607/ एक्ट/2022/646 दिनांक 02.03.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी जाबबदार किराये की दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जिसमें बाहर से खाद्य पदार्थ पनीर का क्य कर उसी अवस्था में विक्रय करता है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। अप्रार्थी उक्त किराये की दुकान से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी बहुत गरीब व्यक्ति है स्वयं के मकान में ही एक छोटी सी दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ही वकील अभियुक्तगण ने उक्त कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/607/ एक्ट/2022/646 दिनांक 02.03.2022 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर अवमानक स्तर का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है, साथ ही यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुमूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 80,000 (अस्सी हजार) रू० की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक. 16.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमेश्वर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी